राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत लट्ठावाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A10

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 102/2017

1. कृष्ण राम पुत्र श्री जयमलराम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. वादी स्वयं
2. पैरोकार राज

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 13.06.2017

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, बाबत घोषणा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/13 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070) का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधाकृष्ण अंकित हो गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद है।

वादी का सही व पूरा नाम कृष्णराम है तथा वादी के वोटर पहचान पत्र आधार कार्ड व अन्य जमीन की जमाबन्दी में सही नाम कृष्णराम अंकित है। नकल पहचान पत्र आधार कार्ड व अन्य जमीन की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाण पत्र (तस्दीक) जारी की गई है, कि वादी का सही नाम कृष्णराम है। वादी का घर पर तथा गांव में राधाकृष्ण नाम से पुारा जाता था इसलिये सहवन से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधाकृष्ण अंकित हो गया है। जबकि सही व पूरा नाम कृष्णराम है। सरपंच द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

उक्त नाम राधाकृष्ण वादी कृष्णराम का ही दूसरा नाम है। जो घर पर पुकारा जाता है। जबकि सही नाम कृष्णराम है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज करनें के लिये आवेदन/निवेदन किये है। मगर उन्होनें वादी का नाम सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया है। इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हो गया है तथा यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वी का नाम कृष्णराम घोषित किया जावे तथा वादी की कृषि भूमि वाके चक 9 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/13 (मुताबिक जमाबन्दी

अधिकारी (राजस्व)

लगातार 2

A/1/2

सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि कृषि भूमि मे से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि में वादी का नाम राधाकृष्ण के स्थान पर कृष्णराम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

    ाद दर्ज रंजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र वादी के नाम दुरूस्ती का है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिसको सिद्ध करनें का भार स्वंय वादी का है अतः राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए निर्णय फरमाया जावे।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी को सुना गया, वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप अपना तथा श्री पृथ्वीराम पुत्र श्री जयमलराम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, बद्रीप्रसाद जयमलराम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, चेतराम जयमलराम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, शिवनारायण पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट साकिन महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, परमानन्द पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट साकिन महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जाकर उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जानें हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी के कथनों पर मनन किया पैरोकार राज को सूना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/13 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि कृषि भूमि मे से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि में वादी का नाम राधाकृष्ण के स्थान पर कृष्णराम दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 13.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लट्ठावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम